



कार्यालय प्राचार्य, कंगलू कुम्हार शासकीय महाविद्यालय दुर्गुकोन्दल,
जिला-उ०ब० कांकेर (छ०ग०) 494669

Affiliated to Shaheed Mahendra Karma University Jagdalpur, Bastar (CG)
Email: govtcollegedurgukondal@gmail.com 9424299247 Website: www.govtcollegedurgukondal.in

क्रमांक: 127/अ.व्या./2024-25

दुर्गुकोन्दल, दिनांक- 08/07/2024

// अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज स्था/नवा रायपुर दिनांक 06/07/2024 एवं छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ-3-54/स्था/2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20/06/2024 के अनुसार कंगलू कुम्हार शासकीय महाविद्यालय, दुर्गुकोन्दल, जिला - उ०ब० कांकेर (छ०ग०) में नीचे उल्लेखित विषयों में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 20/07/2024 तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्रमांक	विषय	रिक्त पद का नाम	संख्या
01	जन्तु विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	01
02	समाजशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	01

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

- अतिथि व्याख्याता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।
- आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष तक।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

टीप :- संबंधित विषय में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :-

- आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल/पी.एच.डी व अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- आवेदन दिनांक 20/07/2024 तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्राप्त आवेदनों की पदमवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 22/07/2024 तक महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।
- गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम मेरिट सूची में दावा आपत्ति दिनांक 23/07/2024 से 24/07/2024 तक होगी।
- अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 25/07/2024 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय के सूचना पटल अथवा वेबसाइट पर किया जाएगा।





कार्यालय प्राचार्य, कंगलू कुम्हार शासकीय महाविद्यालय दुर्गूकोन्दल,
जिला-उबो कांकेर (छ.ग.) 494669

Affiliated to Shaheed Mahendra Karma University Jagdalpur, Bastar (CG)

Email: govtcollegedurgukondal@gmail.com 9424299247 Website: www.govtcollegedurgukondal.in

- आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचारधन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई है।
- आवेदन उपरान्त संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं होगा।

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/-प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/-प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/-प्रतिमाह अधिकतम)

- आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्रचार का पता एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
- इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
- इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना होगा।
- कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियों, युवा एत्सव, आंतरिक परीक्षा का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन, संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
- यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। न ही सेवा भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं होगा।



प्राचार्य,
Principal

कंगलू कुम्हार शासकीय महाविद्यालय,
दुर्गूकोन्दल, जिला-उ.ब. कांकेर
(छ.ग.)